पत्रांक–5/स0भू0 को0 (अवैध हस्तांतरण)– 123/2016.....2861.....(5)/रा०

झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक–.....08-06-17

विषय :– दिनांक–01.01.1946 के पूर्व निबंधित (विक्रय पत्र/पट्टा/हुकुमनामा) के आधार पर पंजी–II में संधारित गैरमजरूआ भूमि से संबंधित जमाबंदियों में ऑनलाईन म्यूटेशन एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने में आ रही समस्याओं के निराकरण करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय ज्ञापांक–2247/रा0, दिनांक–05.05.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि गैरमजरूआ भूमि के ऑनलाईन म्यूटेशन एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने के दौरान प्रकाश में आ रही में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु विभाग द्वारा प्रासंगिक पत्र द्वारा लिए गए निर्णय– "वैसे गैरमजरूआ खास भूमि जिसका हस्तांतरण विधिवत् 01.01.1946 के पूर्व निबंधित दस्तावेज द्वारा हुआ है एवं 1956 से लगातार रसीद निर्गत हो रहा है तथा प्रथम द्रष्टया जमाबंदी सही प्रतीत होता हो, वैसे मामलों में ऑनलाईन रसीद निर्गत करने की व्यवस्था की जाय।" उसके बावजूद ऐसी जमाबंदी से रसीद नहीं निर्गत होने की शिकायतें अभी भी विभाग को प्राप्त हो रही है।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट कहना है कि ऐसे मामले जिनमें 01.01.1946 से पूर्व पंजीकृत डीड/इन्स्ट्रूमेंट से गैरमजरूआ मालिक भूमि का अंतरण/बंदोबस्ती भूतपूर्व जमींदार द्वारा किया गया हो तथा तद्नुसार बंदोबस्ती की तिथि से 1956 के पूर्व तक भूतपूर्व जमींदारी रसीद निर्गत होती रही हो एवं तद्पोरांत 1956 से लगातार उक्त जमाबंदियों में रसीद निर्गत नहीं करने की अवधि तक सरकारी लगान रसीद निर्गत होती रही हो, साथ ही साथ जिन मामलों में समीक्षा के दौरान यह दृष्टिगोचर हो कि भूतपूर्व जमींदार ने निबंधित दस्तावेज से 01.01.1946 के पूर्व जिस रैयत के साथ भूमि की बंदोबस्ती की थी परन्तु उसने 1955–56 के पूर्व भूमि का हस्तांतरण निबंधित दस्तावेज से किसी रैयत को कर दिया हो, वैसे मामलों में भू–हस्तांतरण से संबंधित निबंधित दस्तावेज, 1955–56 के पूर्व भूमि क्रेताओं के नाम भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदें तथा 1955–56 के बाद क्रेता को लगातार निर्गत सरकारी रसीदें एवं उक्त निबंधित दस्तावेज से क्रमानुसार हस्तांतरित दखल–कब्जों का सत्यापन किया जाना अपेक्षित होगा। ऐसे मामलों को अंचल अधिकारी एक सप्ताह के अंदर चिन्हित् कर लेंगे एवं उपलब्ध निबंधित दस्तावेज (विक्रय पत्र/पट्टा/ हुकुमनामा) के आधार पर पंजी–II में संधारित संबंधित भूमि की जमाबंदी से सत्यापन करते हुए अनियमित/संदिग्ध जमाबंदियों के पहचान के क्रम में खोले गए उक्त जमाबंदी के वाद

अभिलेख (Case Record) के आदेश फलक में अपना सुस्पष्ट तार्किक निष्कर्ष (Logical Finding) अंकित करेंगे एवं जमाबंदी का संधारण नियमानुसार नियमित करने योग्य पाये जाने पर उक्त के संबंध में आदेश पारित करते हुए ऐसे जमाबंदियों के विनियमितीकरण का प्रस्ताव अनुशंसा सहित अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को भेजेंगे। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ऐसे अभिलेखों के साथ संलग्न दस्तावेजों एवं अंचल अधिकारी की अनुशंसा की समीक्षा करेंगे एवं सम्यक् रूप से छान–बीन कर आदेश पारित करते हुए अपनी अनुशंसा अनुमण्डल पदाधिकारी को भेजकर उस पर उनका अनुमोदन प्राप्त करेंगे। अनुमोदनोपरांत अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी को वापस करेंगे।

उक्त आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी नियमित पायी जाने वाली जमाबंदी के प्रमाणीकरण करने हेतु कार्यालय आदेश निर्गत करेंगे। संबंधित पंजी II के संबंधित पृष्ठ में उल्लेखित प्राधिकार कॉलम में हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के सत्यापनोपरांत अंचल अधिकारी स्वयं पंजी–II के उक्त पृष्ठ का प्रमाणीकरण (Authentication) करेंगे तथा प्रमाणीकरण के बाद ऑनलाईन प्रविष्टि हेतु अनुरोध–पत्र अपर समाहर्त्ता के माध्यम से NIC को भेजेंगे। NIC से समन्वय स्थापित कर अंचल अधिकारी संबंधित पंजी–II के संबंधित पृष्ठ के विरूद्ध पूर्व में की गयी प्रविष्टि से मिलान/सत्यापन कर उक्त प्रविष्टि को सत्यापित करेंगे। यदि पूर्व में की गयी प्रविष्टि में किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो तद्नुसार प्रविष्टि की जाएगी। की गयी ऑनलाईन प्रविष्टि की QC1 एवं QC2 को हल्का कर्मचारी से भिन्न दूसरे हल्के के कर्मचारी से QC1 एवं QC2 कराते हुए Authenticate करेंगे। ऑनलाईन प्रविष्टि करने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं QC1 एवं QC2 करने वाले हल्का कर्मचारी का पूरा नाम सहित हस्ताक्षर प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उनके विरूद्ध कार्रवाई की जा सके। तद्नुसार उक्त प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पूर्व में लगान रसीद निर्गत करने पर रोक को हटाते हुए ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करेंगे जिसकी सूची विहित प्रपत्र में तीन स्तरों पर (जिलास्तर/अनुमण्डलस्तर/अंचलस्तर पर) रक्षी संचिका में संधारित किया जायेगा तथा एक प्रति विभाग को समर्पित किया जायेगा।

2. ऐसे मामले जिसमें सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों को गैरमजरूआ खास भूमि की सरकारी बंदोबस्ती अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से की गई है, उन मामलों को अंचल अधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी से निर्गत परवाना/बंदोबस्ती पट्टा/रेन्ट रॉल एवं कार्यालय में संधारित सरकारी भूमि बंदोबस्ती वाद, अभिलेख आदि से सम्पूर्ण रूप से जाँच करेंगे एवं सही पाये जाने पर वाद अभिलेख में अपनी अनुशंसा के साथ अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को एक सप्ताह के अंदर भेजेंगे। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अपने कार्यालय में उपलब्ध सरकारी भूमि की बंदोबस्ती पंजी से मिलान एवं सत्यापनोपरांत उक्त बंदोबस्ती सही पाये जाने पर उक्त आशय का आदेश अभिलिखित करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी को अनुशंसा भेजेंगे जिसे अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। तद्पोरांत अभिलेख को अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित अंचल अधिकारी को

वापस करेंगे। उक्त आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी संबंधित पंजी–II के संबंधित पृष्ठ में उल्लेखित प्राधिकार कॉलम में हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के सत्यापनोपरांत स्वयं पंजी–II के उक्त पृष्ठ का प्रमाणीकरण करेंगे। ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने हेतु शेष प्रक्रिया कण्डिका–1 के अनुरूप रहेगी।

अतः अनुरोध है कि अपने जिले से संबंधित दिनांक–01.01.1946 के पूर्व निबंधित दस्तावेज (विक्रय पत्र/पट्टा/हुकुमनामा) के आधार पर गैरमजरूआ भूमि से संबंधित जमाबंदियों को उक्त कण्डिकाओं के अनुसार प्रमाणीकरणोपरांत निष्पादित करते हुए ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत कराना सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

इस पर विभागीय अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

8/6/17

(उदय प्रताप)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/स0भू0 को0 (अवैध हस्तांतरण)– 123/2016..2861.(5)/रा० राँची, दिनांक– 08-06-17

प्रतिलिपि :– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/6/17

सरकार के संयुक्त सचिव।